

**ALL INDIA INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES
ANSARI NAGAR NEW DELHI-110029**

No.F-37/Circular/2024-Estt (H.)

Dated: 22.03.2024

CIRCULAR

**Subject: Brief discharge summary/ treatment advice for Patients Leaving
Against Medical Advice (LAMA)**

It has been brought to the notice of undersigned that patients leaving against medical advice (LAMA) are not provided any documents on discharge. Leaving against medical advice (LAMA) presents significant risks to patients' health and requires careful consideration and documentation to ensure their safety and well-being.

In this regard, it is informed that all patients who leave the hospital against medical advice must have a brief discharge summary/ treatment advice prepared by the Clinical department under which the patient was admitted. This brief discharge summary/ treatment advice is crucial for maintaining continuity of care and ensuring appropriate follow-up, even if the patient decides to discontinue treatment at our hospital.

The brief discharge summary must also include the undertaking by the patient/ patient's attendant stating that "The risk of removing the patient from medical care has been explained to me. I am taking the patient at my own risk". In case the patient's attendant signs the undertaking then the relationship with the patient has to be mentioned. The undertaking needs to be signed in the presence of two neutral witnesses, whose signatures alongwith name and address must be mentioned.

Accordingly, it is requested to all the Heads of the department to ensure that brief discharge summary/ treatment advice is issued to all patients leaving the hospital against medical advice so that necessary information is available to other healthcare providers involved in the patient's care outside our hospital.


(DR. NIRUPAM MADAN)
MEDICAL SUPERINTENDENT

Distribution:

1. Chief(s) of all centre & Head(s) of all Deptts./Units.

P.T.O.

2. Content Provider, for distribution to all Faculty and Residents.
3. Medical Superintendent (RPC) / Addl. Medical Suptd. Of all Centres.
4. Prof. Incharge Computer Facility } – For sharing through content providers.
5. All Faculty of Hospital Administration & Hospital Officers.
6. C.M.O Incharge, EHS
7. Chief Administrative Officer
8. Chief Nursing Officer
9. All N.S., DNS & ANS Incharge of all Centres/ OPDs / Wards / Private Wards/ O.T.'s/ Lab./Dispensary (Thru: C.N.O.).
10. Sr. Admin Officers / Administrative Officers/ AAO of all Centres/ Deptt.

C.C.: Director AIIMS } – for information pl.

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान
अंसारी नगर, नई दिल्ली-110029

फा.सं.-37/परिपत्र/2024-स्था.(अ.)

दिनांक: 22.03.2024

परिपत्र

**विषय: चिकित्सीय सलाह के बिना अस्पताल से जाने (एलएएमए)
वाले रोगियों हेतु संक्षिप्त डिस्चार्ज समरी/उपचार सलाह।**

अधोहस्ताक्षरी की जानकारी में लाया गया है कि चिकित्सीय सलाह के बिना अस्पताल से जाने वाले (एलएएमए) रोगियों को डिस्चार्ज के समय कोई दस्तावेज प्रदान नहीं किया जा रहा है। चिकित्सीय सलाह के बिना अस्पताल से जाना रोगियों के लिए स्वास्थ्य की दृष्टि से जोखिमपूर्ण हो सकता है एवं उनकी सुरक्षा और अच्छे स्वास्थ्य हेतु सावधानीपूर्वक विचार तथा दस्तावेजीकरण की आवश्यकता है।

इस संबंध में, यह सूचित किया जाता है कि जो रोगी चिकित्सीय सलाह के बिना अस्पताल से जाएंगे उनके पास संबंधित नैदानिक विभाग द्वारा बनाई गई उपचार संबंधी एक संक्षिप्त समरी/उपचार सलाह, हो जिसके तहत रोगी को अस्पताल में भर्ती किया गया था। यह संक्षिप्त डिस्चार्ज समरी/उपचार सलाह, रोगी की देखभाल की निरंतरता बनाए रखने तथा उपयुक्त अनुवर्ती जांच की सुनिश्चितता के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे रोगी द्वारा हमारे अस्पताल में उपचार जारी न रखने का निर्णय ले लिया गया हो। संक्षिप्त डिस्चार्ज समरी में रोगी/रोगी के परिचर द्वारा प्रस्तुत कथन भी होना चाहिए कि रोगी को चिकित्सा उपचार से हटाने के जोखिमों के बारे में मुझे स्पष्ट किया गया है। मैं, रोगी को अपनी जिम्मेदारी पर लेकर जा रहा/रही हूँ। यदि रोगी परिचर द्वारा वचनपत्र पर हस्ताक्षर किए जाते हैं तो उन्हें रोगी के साथ अपने संबंध का उल्लेख करना होगा। वचनपत्र पर दो निष्पक्ष गवाहों की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए जाने चाहिए तथा नाम एवं पता का भी उल्लेख किया जाना चाहिए।

तदनुसार, सभी विभागाध्यक्षों से यह सुनिश्चित करने का अनुरोध किया जाता है कि चिकित्सीय सलाह के बिना अस्पताल से जाने वाले सभी रोगियों को संक्षिप्त डिस्चार्ज समरी/उपचार सलाह जारी की जाएं ताकि अस्पताल के बाह्य रोगी उपचार में सम्मिलित अन्य स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं को आवश्यक जानकारी प्राप्त हो सके।

(डॉ निरूपम मदान)
चिकित्सा अधीक्षक

वितरण:-

1. सभी केंद्र प्रमुखगण और सभी विभागों/एकों के अध्यक्षगण।
2. कंटेंट प्रोवाइडर द्वारा सभी संकाय एवं रेजीडेंट को वितरण हेतु
3. सभी केन्द्रों के चिकित्सा अधीक्षक (डॉ. रा.प्र. केंद्र)/अपर चिकित्सा अधीक्षक
4. प्रभारी-आचार्य, कंप्यूटर सुविधा - कंटेंट प्रोवाइडर द्वारा
5. अस्पताल प्रशासन के सभी संकायगण एवं अस्पताल अधिकारीगण
6. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, ईएचएस
7. मुख्य प्रशासन अधिकारी
8. मुख्य परिचर्या अधिकारी
9. सभी केन्द्र/ओपीडी/वार्ड/प्राइवेट वार्ड/ओ.टी./प्रयोगशाला/डिस्पेंसरी के परिचर्या अधीक्षक, उप परिचर्या अधीक्षक, सहायक नर्सिंग अधीक्षक (द्वारा:- मुख्य परिचर्या अधिकारी)
10. वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी/प्रशासनिक अधिकारी/सभी केन्द्रों/विभागों के सहायक प्रशासन अधिकारी।

प्रतिलिपि:- निदेशक, एम्स } - सूचनार्थ